

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008 - 68 (अज ६) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-09-03-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मुर्गेर,
मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना एवं पूर्णिया, बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं0-पी0-3456001910101, मांग सं0-18, राज्य योजना के विषयशीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रुपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-352 दिनांक 31.01.2017 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु नगर निगम स्तरीय सर्तकता समिति एवं अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016 तथा पत्रांक 4572/वि0 दिनांक 03.06.2016 में निहित निदेश के अनुपालन में संलग्न तालिका के अनुसार कुल 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रुपये मात्र को आवंटित करते हुए व्यय की अनुमति दी जाती है ।

| क्र0 | मुख्यशीर्ष | लघुशीर्ष | विषयशीर्ष | उपशीर्ष | वर्तमान उपबंध | आवंटित राशि |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 1. | 3456 | 191 | 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा | 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता । | 1,50,00,000 | 75,00,000 |
| कुल योग :- | | | | | 1,50,00,000 | 75,00,000 |

75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रुपये मात्र



2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 191- नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं०-पी०-3456001910101 मांग संख्या 18, राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगी ।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे ।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7. दिये गये आवंटन प्रस्ताव में सरकार के सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।
8. विभागीय पत्रांक 907 दिनांक 23.02.2017 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-33/2008-68(बजट)/खाद्य,पटना-15, दिनांक-09-03-17
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-33/2008-68(बजट)/खाद्य,पटना-15, दिनांक-09-03-17
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै०यो०)-33/2008-68(बजट)/खाद्य,पटना-15, दिनांक-09-03-17
प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा- 07 एवं 05 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।



मुख्यशाष 3456-सिविलपूत, उपमुख्य शाष 00, लघुशाष 191- नगर निगम का सहायता उपशाष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, मांग सं0-18 विपत्र कोड संख्या-पी0 3456001910101 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

| क्र0सं0 | जिला का नाम | आवंटित राशि |
|---------|-------------|-------------|
| 1 | अररिया | 0 |
| 2 | अरवल | 0 |
| 3 | औरंगाबाद | 0 |
| 4 | बौका | 0 |
| 5 | बेगूसराय | 681818 ✓ |
| 6 | भागलपुर | 681818 ✓ |
| 7 | भोजपुर | 681818 ✓ |
| 8 | बक्सर | 0 |
| 9 | दरभंगा | 681818 ✓ |
| 10 | गया | 681818 ✓ |
| 11 | गोपालगंज | 0 |
| 12 | जमुई | 0 |
| 13 | जहानाबाद | 0 |
| 14 | कैमूर | 0 |
| 15 | कटिहार | 681818 ✓ |
| 16 | खगडिया | 0 |
| 17 | किशनगंज | 0 |
| 18 | लखीसराय | 0 |
| 19 | मधेपुरा | 0 |
| 20 | मधुबनी | 0 |
| 21 | मुंगेर | 681818 ✓ |
| 22 | मुजफ्फरपुर | 681818 ✓ |
| 23 | नालन्दा | 681818 |
| 24 | नवादा | 0 |
| 25 | प0 चम्पारण | 0 |
| 26 | पटना | 681820 ✓ |
| 27 | पू0 चम्पारण | 0 |
| 28 | पूर्णिया | 681818 |
| 29 | रोहतास | 0 |
| 30 | सहरसा | 0 |
| 31 | समस्तीपुर | 0 |
| 32 | सारण | 0 |
| 33 | शेखपुरा | 0 |
| 34 | शिवहर | 0 |
| 35 | सीतामढ़ी | 0 |
| 36 | सिवान | 0 |
| 37 | सुपौल | 0 |
| 38 | वैशाली | 0 |
| | योग :- | 7500000 |

रुपये 75,00,000/- (पचहत्तर लाख)

सरकार के अवर सचिव ।

44-14
